

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 10 (825)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8113.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स साइक्लोप पैकेजिंग सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि., फ्लैट नं. 122, राष्ट्रपति भवन कैबिनेट एफेयर्स ग्रुप हाउसिंग कॉ. सोसायटी, प्लॉट नं. 3, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 2,75,07,140 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 2760714 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 27,508 (रुपये सत्ताईस हजार पांच सौ आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING
REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 26th October, 2009

No. F. 10(825)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8113.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cyklop Packaging Systems (India) Private Limited, Flat No. 122, Rashtrapati Bhawan Cabinet Affairs Group Housing Co. Society, Plot No. 3, Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 27,508 (Rs. Twenty Seven Thousand Five Hundred Eight) only on the aggregate value of shares of Rs.2,75,07,140 for equity share certificates with distinctive Nos. 10001 to 2760714 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (917)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8128.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स लाइफ इन्व्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी.ओ.-II, स्काप मीनार, नौवीं मंजिल, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपए 60,00,000 (रुपये साठ लाख) जो कि उनके द्वारा अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2009 तक जारी

की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा। कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद जो भी पहले हो इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी।

No. F. 10(917)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8128.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Life Insurance Corporation of India, D.O.-II, Scope Minar, 9th Floor, Laxmi Nagar, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 60,00,000 (Rs. Sixty Lac) only in advance chargeable on policy of Insurance to be issued by the said company during the period 1-10-2009 to 31-12-2009 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

सं. फा. 10 (869)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8129.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आइडियल ब्रोडकास्टिंग इंडिया प्रा. लि., सी-9/9650, वसन्त कुंज, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 13,68,750 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26,34,852 से 27,71,726 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1369 (रूपये एक हजार तीन सौ उनहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(869)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8129.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ideal Broadcasting India Private Limited, C-9/9650, Vasant Kunj, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1369 (Rs. One Thousand Three Hundred Sixty Nine) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,68,750 for equity share certificates with distinctive Nos. 26,34,852 to 27,71,726 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (916)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8131.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)

दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पंजाब नेशनल बैंक, 7 भोकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 500,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, नन-कनवर्टीबल, सबोर्डिनेटेड अपर टियर II बण्ड जो कि (प्रमोजरी नोट) के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 1 से 5000 (सिरीज-X) है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 50,00,000 (रूपए पचास लाख) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(916)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8131.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,00,000 (Rs. Fifty Lac) only on the aggregate value of Rs. 500,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated upper tier II bonds issue Series X in the nature of promissory note with distinctive No. 1 to 5000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 10 (786)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8135.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हाण्डा एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स इंडिया प्रा. लि., एम-87, ग्राउंड फ्लोर, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 3,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,41,60,001 से 1,71,60,000 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 30,000 (रूपये तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 27th October, 2009

No. F. 10(786)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8135.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Honda Express Logistics India Private Limited, M-87, Ground Floor, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,000 (Rs. Thirty

Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.3,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,41,60,001 to 1,71,60,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 10 (811)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8160.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री टूडे एसोसिएट्स प्रा. लि., स्टेट्स मैन हाउस, आठवीं मंजिल, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 28th October, 2009

No. F. 10(811)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8160.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Today Associates Private Limited, Statesman House, 8th Floor, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs.1,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (470)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8161.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री रेनेमेकर ट्रेनिंग एण्ड रिकरुटमेंट प्रा. लि., आर-90, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-एक, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 10,01,250 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0010001 से 00010445 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 1,002 (रुपये एक हजार दो) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(470)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8161.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of

Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rainmaker Training & Recruitment Private Limited, R-90, First Floor, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,002 (Rs. One Thousand Two) only on the aggregate value of shares of Rs.10,01,250 for equity share certificates with distinctive Nos. 00010001 to 00010445 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (837)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8162.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सी एण्ड एस इफेसेज एमवी इंडिया प्रा. लि., 222, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 2,12,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 28,80,001 से 50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 21,200 (रुपये इक्कीस हजार दस सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(837)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8162.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. C & S EFACEC MV India Private Limited, 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.21,200 (Rs. Twenty One Thousand Two Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,12,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 28,80,001 to 50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (836)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8163.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इफेस सी एण्ड एस एमवी कम्पॉनेंट्स प्रा. लि., 222, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 60,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,001 से 11,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 6000 (रुपये छः हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(836)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8163.— In exercise of the powers conferred by clause (b)

of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. EFACEC C & S MV Components Private Limited, 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.6000 (Rs. Six Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs.60,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 11,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (915)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/8164.-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि. उर्जा निधि, 1, बाराखंबा लेन, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 331,10,00,000 मूल्य के अनसेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन-कनवर्टीबल, नन-कम्यूलेटिव, टेक्सेबल बॉण्ड्स जो कि डिबेन्चर के रूप में हैं जिनकी पृथक संख्या 00000001 से 00003311 (सीरीज 58-B) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 25,00,000 (रुपये

पच्चीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

No. F. 10(915)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/8164.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Power Finance Corporation Limited, Urjanidhi, 1, Barakhamba Lane, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.25,00,000 (Rs. Twenty Five Lac) only on the aggregate value of debentures of Rs. 331,10,00,000 for issue of Unsecured, redeemable, Non-Convertible, Non-cumulative, taxable bonds in the nature of debentures Series 58-B bearing distinctive Nos. 00000001 to 00003311 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Government of National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy.